

आयालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.148/2019

सरकार बनाम श्योराम

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक-20.12.19

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिपोर्ट इस
आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के
ख0 न098/2.0 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि मेंसे 0.0150 है0 पर श्योराम पुत्र मागू जाति
जाट निवासी खेडकी वीरभान ने सरसों कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है
।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की
धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्राप्त गैर
सायलान उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर
किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा
जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल श्योराम पुत्र मागू जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान ने वाके ग्राम खेडकी
वीरभान के खसरा नंबर 98/2.0 है0 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता की भूमि मेंसे 0.0150 है0
भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया
जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण
को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल श्योराम पुत्र मागू जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली
जिला जयपुर को वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न0 98/2.0 है
किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.0150 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर
सायल को उक्त आराजीयात पर बोई फसल सरसों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से
बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में
लगान राशी 0.06रू. का पचास गुणा 3 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय)

200 0 क १० सी
पृष्ठ संख्या ... पर ...
दिये गये हैं।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली